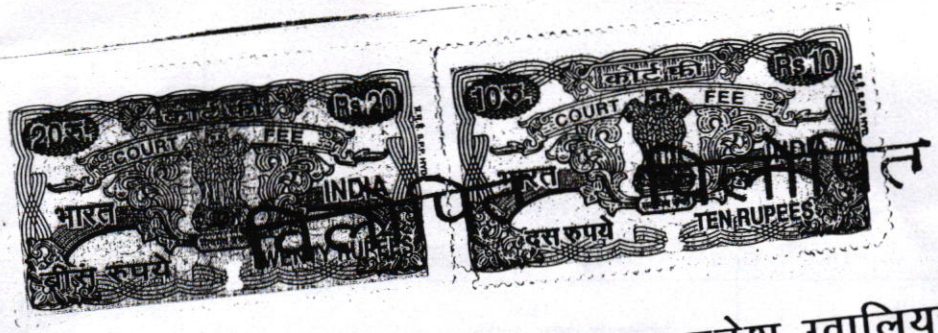

न्यायालय – माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी / भिण्ड / भू0रा0 / 2018 /

निगरानी-3475/2018/भिण्ड/भू.रा.

भारतसिंह पुत्र श्री भूपसिंह, निवासी ग्राम मूरतपुरा, वृत्त, पीपरी, तहसील व जिला भिण्ड (म0प्र0) — निगरानीकर्ता

बनाम

रामसिंह पुत्र श्री भूपसिंह, निवासी ग्राम मूरतपुरा, वृत्त, पीपरी, तहसील व जिला भिण्ड (म0प्र0) — अनावेदक

श्री ... द्वारा आज दि. 5-6-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 14-6-18 नियत।
रीडर ऑफ कोर्ट 5-6-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध न्यायालय अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक 300 / 2017–18 / अपील में पारित आदेश दिनांक 06.12.2017 से व्यथित होकर।

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है–

1. यहकि, प्रकरण के संक्षिप्त इस प्रकार है कि अनावेदक रामसिंह पुत्र स्व0 श्री भूपसिंह ने अभिभाषक के माध्यम से अनुविभगीय अधिकारी, राजस्व, अनुभाग भिण्ड, जिला भिण्ड के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 36 / 2016–17 / अपील माल में पारित आदेश दिनांक 15.11.2017 के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील दिनांक 05.12.2017 को प्रस्तुत की गयी, जिसमें अपील में संलग्न ... पत्रिका की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3475/2018/भिण्ड/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04/09/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का परिशीलन किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण नायब तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि वे पक्षकारों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित करें। जबकि संहिता की धारा 49 के प्रावधानों के अनुसार अपीलीय अधिकारी को प्रकरण को प्रत्यावर्तित करने की अधिकारिता नहीं है। तथा उन्हें प्रकरण का निराकरण गुण-दोष पर किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आलोच्य आदेश इसी आधार पर निरस्ती योग्य है। अतः उसे निरस्त करते हुए प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उनके समक्ष प्रस्तुत अपील का निराकरण गुण-दोषों पर उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर विधिवत करें। उकत निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	